24-ए-49/13/01/2014/ጚ.भा. l/2587635/2025



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय , भारत सरकार ) Employees' State Insurance Corporation (Ministry of <u>Labour</u> and Employment)



उप क्षेत्रीय कार्यालय , करनाल Sub Regional Office, <u>Karna</u>l

द्वितिय तल, क.रा.बी. आषधाल , सक्टर -13(एक्सर्टश), करनाल 2<sup>nd</sup> Floor, ESI Dispensary, Sector-13(<u>Extn</u>) <u>Kamal</u> ई-मेल: <u>SRO-Kamal@esic.nic.in</u>

संख्या: 24-ए-49/13/01/2014/रा.भा.

दिनांक : 23.05.2025

## परिपत्र

विषय: राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जांच बिंदुओं का अनुपालन।
Subject: Compliance of prescribed check-points for implementation of the Official language Policy.

उपर्युक्त विषय पर उप क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाता है कि संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग / मुख्यालय, क. रा. बी. निगम द्वारा जांच बिंदु निर्धारित किए गए हैं और इनके सम्यक अनुपालन पर जोर दिया जाता है | संसदीय राजभाषा समिति जब भी किसी कार्यालय का निरीक्षण करती है, तो जांच बिंदुओं के अनुपालन की समीक्षा करती है। इन जांच बिंदुओं को समय-समय पर सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के बीच परिचालित किया जाता रहा है। उप क्षेत्रीय कार्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी इन जांच बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाती है और अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी अधिकारियों से इनका कडाई से अनुपालन करने के लिए कहा जाता है | मुख्यालय के पत्र संख्या ए-49/18/1/2024-रा.भा.(जांच बिंदु) दिनांक 21.04.2025 के अनुसरण में जांच बिंदुओं को इस अनुरोध के साथ पुनः परिचालित किया जाता है कि कृपया इनका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

On the subject cited above, it is brought to the kind notice of all the officers/employees of the Sub Regional Office that check points have been set by the Department of Official Language /Headquarters, ESIC to ensure the implementation of the Official Language Policy of the Union Government and compliance of the Official Language Rules and the emphasis is laid on their due compliance. The Parliamentary Committee on Official Language reviews the compliance of check points whenever it inspects any office. These check points are being circulated among all the officers/employees from time to time. These check points are also discussed in the meetings of Departmental Official Language Implementation Committee of the Sub Regional Office in detail and all officers are asked by the undersigned to comply these strictly. In pursuance of Headquarters letter no. 24 A-49/18/1/2024-OL dated 21.04.2025: the check points are being re-circulated with the request that 100% compliance of these may please be ensured.

piease be ensured.			
निर्धारित जांच	मद	<b>उत्तरदा</b> यी	
बिंदु / Prescribed check points			
1.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/ सभी	
	वाले दस्तावेज जैसे परिपत्र, आदेश आदि को अनिवार्य		
	रूप से द्विभाषी रूप से जारी करना / Issuance of	Signatory Officer/ All Branches	
	documents prescribed under Section 3(3) of Official Language Act such as general orders, memorandum, circulars etc. mandatorily in bilingual form.		
2.	Letters received in Hindi to be replied in Hindi	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/ सभी शाखाएं Signatory Officer/ All Branches	

24-页-49/13/01/2014/亚洲. I/2587635/2025

3.	लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना / Writing	सभी शाखाधिकारी / जारीकर्ता
	addresses on envelopes in Hindi	अधिकारी तथा प्राप्ति एवं प्रेषण
		शाखा के अधिकारी All Branch Officers/Issuing Officers and Officer of the Diary and Dispatch Branch
4.	सभी पत्रशीर्ष द्विभाषी रूप में तैयार/प्रयोग करना / To	सभी शाखाधिकारी/हस्ताक्षरकर्ता
	prepare/ use all Letter Heads in bilingual form.	अधिकारी All Branch Officers/Signatory Officers
5.	रजिस्टरों एवं सेवा पुस्तिकाओं /सेवा अभिलेखों के	प्रशासन शाखा के अधिकारी/ लेखा
	शीर्ष द्विभाषी होना तथा उनमें प्रविष्टियां हिंदी में किया जाना। Bilingual Headings on Registers and Service Books/Service Cards and making Entries in them in Hindi	Officer of Administration branch/ Accounts officer
6.	रबड़ की सोहरे, नामपट्ट, साइन बोर्ड आदि दविभाषी	सामान्य शाखा के अधिकारी/
	रूप में बनाना / Preparing Rubber Stamps, Name Plates, Sign boards etc. in bilingual form.	संबंधित शाखा अधिकारी Officer of General Branch/Concerned Branch Officer
7.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/ संबंधित
	वाले पत्र आदि अनिवार्यत: हिंदी में जारी करना / Issuance of letters etc. to the State Governments of 'A' and 'B' Regions mandatorily in Hindi	• •
8.	द्विभाषी कम्प्यूटरों/ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद	सामान्य शाखा के अधिकारी/ खरीद
	/व्यवस्था / Purchase / Arrangement of bilingual computers/ electronic equipments	अधिकारी Officer of General Branch/Purchase Officer
9.	हिंदी में प्राप्त आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/ संबंधित
	अनिवार्यतः हिंदी भाषा ही दिया जाना / Reply mandatorily in Hindi only to Applications, Appeals or Representations received in Hindi	= -
10.	सभी विभागीय बैठकों की कार्यसूची तया कार्यवृत	बैठक के अध्यक्ष/ हस्ताक्षरकर्ता
	अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी करना तथा बैठक की	अधिकारी/ संबंधित शाखा अधिकारी
	कार्यवाहियों हिंदी भाषा में संचालित करना/ To issue the agenda points and minutes of all the departmental meetings compulsorily in bilingual form and to conduct the proceedings of the meetings in Hindi	meeting/ Signatory Officer/ Concerned Branch
11.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवम् सदस्यों	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के
	द्वारा हिंदी में कार्य निष्पादन /Work execution in Hindi by the Chairman and members of the Official Language Implementation Committee	अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा सभी सदस्य Charman, Member Secretary and all Members of the Official Language Implementation Committee
12.	सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड सहित हिंदी का उपयुक्त	
	सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना तथा ई-मेल हिंदी में किया जाना	सभी ई-मेल जारीकर्ता अधिकारी/ शाखाएँ
•	ı	'

24-ए-49/13/01/2014/रा.भा. 1/2587635/2025

	To provide appropriate Hindi software including Unicode in all the computers and to send the emails in Hindi	-
13.	इकाई (कार्यालय/अस्पताल) द्वारा प्रयोग में लिए जाने	सामान्य शाखा के अधिकारी/
	वाले मुद्रित/ साइक्लोस्टाइल फॉर्म एवं मानक मसौदो	संबंधित प्रयोगकर्ता अधिकारी /
	को द्विभाषी रूप में ही मुद्रित तथा प्रकाशित करवाया	
	जाना Printing and publishing of printed/cyclostyle forms and standard drafts used by the unit(Office/ Hospital) in bilingual form only.	Officer of General branch/ concerned user officer/ Branch officer
14.	विज्ञापन पर खर्च की जाने वाली कुल राशि में से	जनसंपर्क शाखा अधिकारी
	न्यूनतम 50% राशि का व्यय अनिवार्यतः हिंदी	Officer of Public Relations
	विज्ञापनों पर किया जाना / To spend minimum 50% expenditure on Hindi advertisements out of the total amount spent on the advertisements.	branch
15.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण तथा वेब साइट पर सामग्री	वेवसाइट सामग्री प्रबंधक तथा पत्र
	(पत्र-ट्यवहार आदि) द्विभाषी रूप में ही अपलोड किया	आदि जरीकती अधिकारी/शाखा
	जाना / Bilingualization of the website and uploading material (correspondence etc.) on the website in bilingual form only.	Website Content Manager and Letter etc issuing Officer/Branch
16.		इकाई (कार्यालय/अस्पताल) अध्यक्ष
	उत्तरदायित्व (राजभाषा अधिनियम एवम् नियमों के	Unit (Office/Hospital) Head
	उपबंधों तथा केंद्र सरकार दवारा समय समय पर जारी	
	किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन	
	सुनिश्वित करना / करवाना ) Responsibility of the Administrative Head in relation to compliance (to ensure proper compliance of the provisions of the Official Language Act and Rules and directives issued by the Central Government from time to time).	
17.	सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट शाखाओं	विनिर्दिष्ट शाखाओं के अधिकारी/
	में अनुपालन /Compliance in Branches Specified for carrying out the entire work in Hindi	विनिर्दिष्ट साखाएँ Officers of Specified Branches/Specified Branches
18.	उपस्थिति पंजिका में कार्मिकों के नाम तथा हस्ताक्षर	
	हिंदी में होना /Names and signatures of the officials in the attendance register in Hindi	All Branch Officers/All employees

## संयुक्त निदेशक (प्रभारी)/Joint Director(I/c)

- प्रतिलिपि/Copy to; 1. उप क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल के सभी अधिकारी /All officers of SRO Karnal. 2. उप क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल के सभी कर्मचारी /All employees of SRO Karnal 3. शाखा कार्यालय अम्बाला, पंचकुला, पानीपत, जगाधरी / Branch office Ambala, Panchkula, Panipat, Jagadhari.

24-ए-49/13/01/2014/ጚ.भा. l/2587635/2025

4. महानिदेशक (राजभाषा), मुख्यालय, क.रा.बी.नि, नई दिल्ली/ Director General (Official Language), Headquarters, ESIC, New Delhi.